



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2016/फाल्गुन 7, 1937

No. 523]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2016/ PHALGUNA 7, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2016

**का.आ. 612(अ).**—महाराष्ट्र के नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में घोषित करते हुए, एक प्रारूप अधिसूचना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 590 (अ), तारीख 20 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 60 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां 20 फरवरी, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

और, केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान को, जिसे इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य तथा उद्यान कहा गया है, विचार में लिया है जो महाराष्ट्र में गोंदिया और भंडारा जिलों में अवस्थित हैं;

और, अभयारण्य तथा उद्यान, महाराष्ट्र की राज्य सरकार की अधिसूचना सं. डब्ल्यू. एल. पी. 0913/सी. आर.316/एफ-1, तारीख 12 दिसम्बर, 2013 द्वारा यथा अधिसूचित नवेगांव-नागजीरा व्याघ्र आरक्षिती के मूल या क्रांतिक व्याघ्र निवास को सम्मिलित करते हैं;

और, अभयारण्य और उद्यान समृद्ध पक्षी-जीव के साथ लगभग 312 पक्षियों की प्रजातियां जिसमें प्रवासी और जल पक्षी सम्मिलित है के लिए जाने जाते हैं, हर वर्ष भारतीय मूल के क्षेत्रीय पक्षियों की संख्या यहाँ आस-पास वास करते हैं, इस क्षेत्र के लिए सरस क्रेन्स का प्रजनन अभिलिखित किया गया है, क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिकारी पक्षी मधुश्येन, भुजंग गरुड़, बाज़, ग्रे हेडेड मत्स्य गरुड़ हैं।

और, क्षेत्र में अत्यन्त उच्च जीव-जन्तु और वनस्पतीय विविधता के साथ लगभग 72 स्तनधारियों की प्रजातियां, लगभग 48 सरीसृपों की प्रजातियां और कई उभयचरों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इस क्षेत्र की वनस्पति में दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिनिधित्व है।

और, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वन्यजीव जैसे बाघ, तेंदुआ, रीछ, जंगली कुत्ता, जंगली भैंसा, चीतल, सांभर और नीलगाय का भी संभरण है।

और, उपर्युक्त अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के समीप्य के क्षेत्र में मानव बस्ती और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों, इस तरह की क्रियाकलापों पर उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता और नियंत्रण की जरूरत है।

और, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र को नवेगांव - नागजीरा व्याघ्र आरक्षित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 2333.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और जिसमें गोंदिया और भंडारा जिलों के गोरेगांव, गोंदिया, सडक अर्जुनी, दीओली, अर्जुनी मोरगांव, भण्डारा, सकोली, लखानी और मोहादी तहसील के कतिपय गांव हैं जो पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, जिसकी सीमा के विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना में अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी प्रबंधन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर और स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) नवेगांव - नागजीरा व्याघ्र आरक्षित जोन पारिस्थितिक संवेदी जोन का भागरूप होगा और आंचलिक महायोजना को तैयार करने के दौरान मध्यवर्ती व्याघ्र आरक्षित योजना को भी विचार में लिया जाएगा।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(4) महायोजना विद्यमान अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों के सुधार और पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए एक कारक होगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास का विनियमन करेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 12, सं. 18, सं. 24, सं. 37 और सं. 40 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं,

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और नवेगांव, नागजीरा वन आरक्षिती के मध्यवर्ती परिक्षेत्र प्रबंध योजना के अनुसार अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार ऐसी रीति में मार्गनिर्देश तैयार करेगी जिससे उन क्षेत्रों पर या उनके निकट ऐसे विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकर हैं।

(3) **पर्यटन** -- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जिसमें आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षिती क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र राज्य केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड या राज्य वन विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) तद्विधि बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** – (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह कि विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक चालू रह सकेंगे जब तक कि उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध न कर दिया जाए।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर ईंट तैयार करने के किसी उद्योग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्विधि बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नया अतिक्रमण और उनका विनियमन।	13 दिसंबर, 2005 के पश्चात् प्रतिषिद्ध।
(10)	सिंचाई विभाग द्वारा जल पल्बित क्षेत्र पट्टा।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर सरकारी टैंकों के जल पल्बित क्षेत्रों में कृषि हेतु पट्टे का पूर्ण वर्जन।
(11)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;  परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक कि उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध न किया जाए।

विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।</p> <p>परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।</p>
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।</p> <p>परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी।</p> <p>(ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे।</p> <p>(ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।</p>
(14)	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p>
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	<p>(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।</p> <p>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।</p> <p>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।</p>
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	<p>नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान से 500 मीटर के भीतर नई उच्च टेंशन पारेषण लाइनों को बिछाने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।</p>

(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू के अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्त्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्त्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
(27)	होटलों और लॉजों के परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
(28)	दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
(29)	मोबाइल टावर ।	शीर्ष पर संरक्षण प्रणाली के साथ अनुज्ञात किया जाएगा ।
(30)	फर्नीचर मार्ट ।	वन विभाग द्वारा विनियमित किया जाएगा ।
(31)	मछली पकड़ना ।	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में या जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार है।
(32)	पुराने टेंकों को गहरा करना।	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में या जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार है।
(33)	खोखले वृक्ष ।	किसी खोखले वृक्ष को काटना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(34)	जलाशयों या टेंकों में न्यूनतम भंडारण ।	न्यूनतम भंडारण का अनुरक्षण किया जाएगा ।
(35)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित ।
<b>संबंधित क्रियाकलाप</b>		
(36)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।



(37)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(38)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(39)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(40)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(41)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैविक गैस, सौर प्रकाश को बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. मानीटरी समिति:-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रास्तपासंजोमास), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) जिला कलक्टर, गोंदिया - अध्यक्ष ;
- (ख) जिला कलक्टर, भंडारा का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (ग) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए - सदस्य ;
- (घ) प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण बोर्ड - सदस्य ;
- (ङ.) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर नियोजक - सदस्य ;
- (च) पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (छ) पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के क्षेत्र में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए - सदस्य;
- (ज) उप वन संरक्षक, भंडारा - सदस्य ;
- (झ) क्षेत्र निदेशक, नवेगांव नागजीरा व्याघ्र आरक्षिती - सदस्य ;
- (ञ) उप वन संरक्षक, गोंदिया - सदस्य-सचिव।

#### निर्देश निबंधन :

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में संलग्न रूप विधान के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या विषय-वस्तु से संबंधित विधि का कोई अन्य न्यायालय द्वारा पारित कोई विद्यमान आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/9/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

### उपाबंध I

#### **नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन**


पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा नाला को पार करके नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान और नवेगाँव वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी भाग में मांडवी ग्राम से आरंभ होकर और आर. एफ सीमा के अक्षांश 21'13"12 और देशांतर 79'43"14 से बहित होती है और उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है, इसके बाद यह नाला को पार करके पनजारा ग्राम की उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह करदी ग्राम सीमा तक नाला के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह नाला को पार करके सीतेपर ग्राम तक पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह बोपेश्वर ग्राम तक नाला के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह लोधीटोला ग्राम सीमा तक राज्य राजमार्ग को पार करके उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह मेनधा ग्राम तक राज्य राजमार्ग को पार करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह थानेगाँव ग्राम तक सड़क के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह दोनगरगाँव ग्राम तक सड़क के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और खामरी ग्राम तक उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह रुसतमपुर ग्राम सीमा तक आर. एफ. सीमा और नाला के साथ पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह नीमगाँव ग्राम सीमा तक नाला के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह रेलवे लाइन तक नाला के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और नावाटोला ग्राम तक रेलवे लाइन के साथ पूर्व दिशा की ओर पुनः मुड़ती है। इसके बाद यह पनगदी तलव तक नाला के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह गुमदोह तलव तक नाला के साथ दक्षिण

दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह हलबीटोला ग्राम तक कैनल को पार करके पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह जानूटोला (पीपरटोला) ग्राम तक नाला के साथ रेलवे लाइन को पार करके दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह मुनदीपर ग्राम सीमा तक सड़क के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह नाला के साथ पूर्व की ओर मुड़कर और राज्य राजमार्ग को पार करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और नीमबटोला ग्राम सीमा तक नाला के साथ जाती है। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कज़लवानी ग्राम सीमा तक आर. एफ. कम्पट सं. 527 से शुरू होते हुए जाती है, इसके बाद सीमा मरमसूद नाला के साथ आर. एफ. से होते हुए और पहाड़ी बिंदु 397 के निकट आढे-तिरछे ढंग में पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह पहाड़ी बिन्दु 382 तक दक्षिण की ओर मुड़कर और दुबारा पश्चिम की ओर मुड़कर और जुनजरीटोला ग्राम तक दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा जमनापुर ग्राम तक दक्षिण दिशा में नाला से होते हुए और वज़टोला ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद यह गोटाबोदी ग्राम सीमा तक पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा नदी को पार करके ओर दक्षिण दिशा में राज्य राजमार्ग दियोरी से चीचगढ़ तक और दुबारा यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 को पार करके जाती है। इस बिंदु से यह महाजनटोला ग्राम तक नाला के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह टोयागोनदी ग्राम तक पुरानी आर. एफ. सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इस बिंदु से यह बाग नदी छूती है और फुटाना टैंक तक बाग नदी के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह आर. एफ. सीमा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और छत्तीसगढ़ की राज्य सीमा को छूती है। इसके बाद यह बोदलदनद ग्राम तक पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और पुनः आर. एफ. सीमा के साथ धानोरी ग्राम सीमा तक दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। यह आर. एफ. सीमा साथ केशोरी ग्राम तक पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह रेहली ग्राम तक दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह पाउनी ग्राम तक नाला के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और गधवी नदी के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह जिला सीमा तक दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और छोर नदी को छूती है। इसके बाद सीमा नाला के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और अकटा ग्राम तक छोर नदी को छूती है। इसके बाद गधवी नदी तक इटीयादोह झील की सीमा के साथ ट्रैक से होते हुए और यह गन्धारी ग्राम तक दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह करनदली ग्राम तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और आर. एफ. सीमा के साथ गधवी नदी को छूती है। इसके बाद यह गधवी नदी को पार करके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और सुरबन ग्राम तक गधवी नदी के साथ जाती है। इसके बाद यह दिनकरनगर ग्राम तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और गोथानगाँव ग्राम तक नाला के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद पहाड़ी बिंदु 537, 448, 468 एवं 391 से होते हुए नवेगाँव कोहलगँव सड़क को पार करके और नवेगाँव झील को छूती है। इसके बाद यह नवेगाँव झील की सीमा के साथ होते हुए और बोनदे ग्राम से मिलती है। इसके बाद यह हलबीटोला ग्राम तक कार्ट ट्रैक के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और भूरसीटोला ग्राम तक नाला के साथ रेलवे लाइन को पार करके जाती है। इसके बाद यह सलाई ग्राम तक आर. एफ. सीमा के साथ भूरसीटोला से भीबखिड़की सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाइन के सामांतर जाती है और रेलवे लाइन को पार करके पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और आर. एफ. सीमा को छूती है। इसके बाद यह चुलबंद नदी से मिलते मुड़ती हुए नाला के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह चुलबंद नदी के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और फुटाला ग्राम सीमा से मिलती है। इसके बाद यह चरगाँव आर. एफ. सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह चरगाँव आर. एफ. सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और परसोदी ग्राम सीमा को छूती है। इसके बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 तक चरगाँव आर. एफ. सीमा के साथ होते हुए जाती है। इसके बाद यह पथारी ग्राम तक नाला के साथ पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 जाती है। इसके बाद यह नाला के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 को पार करके चुलबुल नदी से मिलती है। इसके बाद यह बोनदे ग्राम सीमा तक चुलबुल नदी के साथ दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह गीरोला ग्राम तक सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह नाला के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और पीमपलगाँव ग्राम के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 को छूती है। इसके बाद यह बमहनी ग्राम सीमा तक सड़क के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह खेदेपर ग्राम तक नाला के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह किनही ग्राम तक नाला के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह गनगलवाडा आर. एफ. सीमा तक नाला के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह आर. एफ. सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं- 6 से मिलती है। इसके बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 और धरगाँव ग्राम सीमा तक नाला के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह भीलेवाडा ग्राम तक एन. एच-6 के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह करजखेडा ग्राम तक सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह सुरेवाडा ग्राम तक सड़क सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है।

इसके बाद यह खमरी एवं बेल्लगाँव ग्राम तक सड़क सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह मनदवी ग्राम तक सड़क सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है।

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



**नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पे विभिन्न बिंदुओं के अवस्थान**

बिन्दु सं.	अक्षांश	देशान्तर
1	21° 14' 26.90" उ	79° 44' 03.25" पू
2	21° 15' 06.64" उ	79° 48' 12.58" पू
3	21° 16' 22.56" उ	79° 48' 30.41" पू
4	21° 16' 19.1" उ	79° 48' 36.6" पू
5	21° 19' 50.6" उ	79° 54' 46.8" पू
6	21° 21' 24.7" उ	79° 59' 44.7" पू
7	21° 23' 14" उ	80° 01' 40" पू
8	21° 26' 15" उ	80° 04' 34.5" पू
9	21° 24' 22.5" उ	80° 06' 23" पू
10	21° 22' 01.90" उ	80° 06' 07.47" पू
11	21° 18' 35.2" उ	80° 08' 50.5" पू
12	21° 14' 22.5" उ	80° 17' 54.5" पू
13	21° 13' 28.03" उ	80° 19' 11.31" पू
14	21° 08' 46.98" उ	80° 16' 38.92" पू
15	21° 01' 40.95" उ	80° 26' 41.63" पू
16	20° 55' 15.51" उ	80° 26' 48.54" पू
17	20° 51' 47.23" उ	80° 21' 54.00" पू
18	20° 49' 12.68" उ	80° 14' 57.07" पू
19	20° 46' 39.20" उ	80° 09' 1.16" पू
20	20° 51' 12.56" उ	80° 07' 36.15" पू
21	20° 55' 18.36" उ	80° 03' 48.89" पू
22	20° 59' 7.82" उ	80° 04' 32.07" पू
23	21° 04' 11.96" उ	80° 04' 17.00" पू
24	21° 07' 05.39" उ	80° 00' 21.57" पू
25	21° 04' 14.71" उ	79° 58' 24.39" पू
26	21° 02' 08.94" उ	79° 57' 30.37" पू

27	21° 03' 53.15" उ	79° 53' 23.26" पू
28	21° 05' 56.05" उ	79° 53' 17.03" पू
29	21° 07' 21.02" उ	79° 50' 26.56" पू
30	21° 05' 09.49" उ	79° 46' 44.89" पू
31	21° 06' 12.19" उ	79° 43' 48.53" पू
32	21° 08' 19.85" उ	79° 41' 13.67" पू
33	21° 11' 33.82" उ	79° 42' 01.71" पू

**नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर विभिन्न बिंदुओं के अवस्थान**

बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
क	21° 13' 57.90" उ	79° 43' 32.99" पू
ख	21° 14' 02.23" उ	79° 45' 18.24" पू
ग	21° 11' 02.38" उ	79° 46' 28.94" पू
घ	21° 13' 12.77" उ	79° 48' 14.74" पू
ङ.	21° 13' 29.84" उ	79° 50' 04.09" पू
च	21° 15' 30.81" उ	79° 50' 42.65" पू
छ	21° 16' 42.89" उ	79° 52' 57.34" पू
ज	21° 18' 03.96" उ	79° 56' 16.36" पू
झ	21° 16' 10.63" उ	79° 57' 26.40" पू
ञ	21° 19' 10.32" उ	79° 58' 27.70" पू
ट	21° 20' 00.13" उ	80° 01' 54.92" पू
ठ	21° 20' 53.44" उ	80° 02' 50.28" पू
ड	21° 20' 41.62" उ	80° 04' 27.27" पू
ढ	21° 18' 38.33" उ	80° 04' 07.08" पू
ण	21° 18' 15.15" उ	80° 06' 25.29" पू
त	21° 17' 19.30" उ	80° 10' 43.04" पू
थ	21° 11' 49.95" उ	80° 04' 01.02" पू
द	21° 09' 58.58" उ	80° 00' 31.83" पू
ध	21° 10' 37.36" उ	79° 58' 34.50" पू
न	21° 12' 37.86" उ	79° 56' 00.03" पू
प	21° 12' 07.06" उ	79° 52' 34.19" पू

फ	21° 08' 10.99" उ	79° 54' 32.97" पू
ब	21° 08' 29.63" उ	79° 48' 05.33" पू
भ	21° 07' 03.73" उ	79° 46' 18.18" पू
म	21° 08' 55.64" उ	79° 42' 59.65" पू
य	21° 11' 37.64" उ	79° 44' 26.05" पू

**नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर विभिन्न बिंदुओं के अवस्थान**

बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
एन 1	21° 04' 5.38" उ	80° 09' 36.11" पू
एन 2	21° 04' 9.69" उ	80° 11' 19.84" पू
एन 3	21° 01' 50.79" उ	80° 13' 20.28" पू
एन 4	21° 03' 12.98" उ	80° 14' 58.55" पू
एन 5	21° 03' 36.73" उ	80° 18' 21.60" पू
एन 6	21° 0' 5.43" उ	80° 17' 29.50" पू
एन 7	21° 0' 32.16" उ	80° 20' 31.37" पू
एन 8	20° 59' 14.98" उ	80° 21' 58.33" पू
एन 9	20° 55' 43.62" उ	80° 21' 3.59" पू
एन 10	20° 55' 34.87" उ	80° 19' 20.99" पू
एन 11	20° 58' 38.17" उ	80° 18' 26.94" पू
एन 12	20° 58' 42.14" उ	80° 16' 36.19" पू
एन 13	20° 55' 36.62" उ	80° 17' 27.00" पू
एन 14	20° 57' 12.11" उ	80° 14' 6.02" पू
एन 15	20° 55' 51.80" उ	80° 14' 50.18" पू
एन 16	20° 54' 51.51" उ	80° 12' 57.15" पू
एन 17	20° 54' 35.58" उ	80° 11' 6.37" पू
एन 18	20° 55' 53.53" उ	80° 11' 20.01" पू
एन 19	20° 55' 22.92" उ	80° 9' 12.51" पू
एन 20	20° 55' 47.57" उ	80° 7' 28.79" पू
एन 21	20° 56' 52.24" उ	80° 6' 46.80" पू
एन 22	21° 0' 4.42" उ	80° 7' 23.95" पू
एन 23	21° 02' 35.38" उ	80° 8' 31.50" पू

## उपाबंध-III

## पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

## गोंडिया जिला का गोरेगाँव तहसील (27 गाँव)

सोदलागाँवनदी, जमभुलपानी, गरदा, रमातोला, मालपुरी, बोदुनदा, अलेबादार, असलपानी (रिठी), निम्बा, हलबीटोला (निम्बा), जलिया (रिठी), पिपरटोना (तानु), तिल्ली, पलकेहदा, मुरदोली, तेलनखेड़ी, घुनर्रा, पिनदेकेपार, पलेवाडा, मुन्दीपर, हिरापुर, बगादबान, धनुटोला, लेनदेज़री, गिरोला रिठी और रेनगेपर रिठी ।

## गोंडिया जिला का गोंडिया तहसील (06 गाँव)

जुनेवानी, गंगाज़ारी, खर्रा, पनगडी, धमनेवाला और संग्रामपुर (रिठी) ।

## गोंडिया जिले का तिरोदा तहसील (30 गाँव)

कोदेबर्रा, धोटी, मनगेज़री, गोविंदटोला, बालापुर, कोवेसर, बेरदीपार (खु), खुरसीपर, भजेपर, कचेखानी (रिठी), चोरखमारा, कमकाज़री (रिठी), मारेगाँव, सर्रा, नन्दालपर, लोनारा, कुल्पा, मलकाज़री (रिठी), अराबकासा (रिठी), मरदागोनदी, सीतेपर, अलेज़री, नवेज़री, वधोना (रिठी), बोदलकासा, पीनदेकेपर, रुसतमपुर, कोदेलओखारा, कोयलरी और निमगाँव ।

## गोंडिया जिले का सड़क अर्जुनी तहसील (98 गाँव)

लेनदेज़री, धनोरी, बोदुनदा, थदेज़री (रिठी), कोसमतोनदी, चिचटोला, सीतेपर, मलीजुनगा, खोदशिवानी, हेती, पनधारी, मुरपर (लेनदेज़री), दुनदा, मुनदीपर (घाटे), घाटेगाँव, तेमनी हेटी, मुरपर राम, गोंगले, मरमजोब (रिठी), हलबीटोला, मोहघाटा रनगेपर (पनधारी), खादीपर, घोती, पलासगाँव (राम), भुसरीटोला, पटेखुर्रा, खैरी, गिरोला हेती, दोदके, भुधनगर, कोदमेदी, बोपाबोदी, जमभाडी, चिरचादी (कोहली), दोनगरगाँव (खज), खजारी, गोपालटोली, दब्बा, वडेगाँव, घटबोरी (तेली), घटबोरी (कोहली), सीनदीपर, मुनदीपर (घतब), महसवानी, दोनगरगाँव, खडकी, रेनगेपर (पनधरवानी), दल्ली, पनधरवानी, (शेनदा), बहमनी, कनहारपायली, शेनदा, कोयलरी, मोगर्रा, कोकना, खोबा, राका, बकी, चिखली, कनेरी, कोसमघाट, कोसबी, कोलरगाँव, पलासगाँव, दुग्गीपर, सलेधरनी, राजगुडा, देवोपायली, पनधरवानी (रेनगे), कोहलीटोला, मेनधाकी, मनेरी, सहाकेपर, उशीखेडा, प्रधानटोला, मन्डीटोला, कतलवाही (रिठी), कोहलीपर, महली, सवानगी, नैनपुर, पुरकाबोदी, सिवानटोला, बिर्री, पुताली (उसरीमेता), खुरसीपर, भदुटोला, कोकना गोसाई, तीदका, सड़क अर्जुनी, कोहमारा, परासोदी, बोथाली, केसलवाडा, पिनदेकेपर और मनगेज़री ।

## गोंडिया जिले का देओरी तहसील (81 गाँव)

फुताना, बोरगाँव, शेरपर, चिचेवाडा, शेदेपर, सलाई, राजमदोनगरी, बेलारगोंदी, खमतालाओ, अलेज़री (रिठी), अलेबेदर, मसुलकासा, मलहारबोदी, मरमजोब, देओरी, धोबीसरद, मुरदोली, अमगाँव, गोताबोदी, मुनदीपर, बोरगाँव, जुनजारीटोला, जमनापुर, नकटी, टोयागोंदी, चारभट्टा, धीरवारीनटोला, मोहनटोला, कलचुवा, लेनदीजोब, मुरपर, मसुरभावाडा, कनहालगाँव, जेथभावाडा, गादेगाँव, बोदलदानद, हलदी, धनोरी, मोहगाँव, बेलगाँव, पलानगाँव, खमखुर्रा, केसहोरी, नीलज, बोनदे, घोनादी, पलासगाँव, सिनदीबिर्री, पदमपुर, मैसुली, सीनगानदोह, सर्रेगाँव, रुपा, धोधारा, पनधरवानी, पिनदेकेपर, अलेवाडा, कवलेवाडा, परसोदी, मुरपर (रिठी), धमदीटोला (पलास), सुकादी, गरारटोला, पलानदुर, बालापुर, मगरदोह, मोहनदी, वसानी, पाओनी (रिठी), सुनदरी, दोनगरगाँव, चिचगढ, वनधारा, देवलगाँव, भागी, सिरपुर, अमभोरा, कोसबी, कोतजामभोरा, धामदीटोला और मुरमादी रिठी ।

## गोंडिया जिले का अर्जुनी मोरगाँव तहसील (27 गाँव)

सुरवान, रामनगर, गोथानगाँव, बोन्दगाँव, कदहोली, संजय नगर, गंधारी, चन्ना/कोदका, पनधरवानी, परसोदी, (राय), खोली, कनहोली, कोहलगाँव, रंजीटोला, जब्बरखेडा, येरान्दी/दारे, धावतेकरी, पाओनी, जमभाली, येलोदी, रामपुर, जशीनगर (तमबोरा), चिनगी, तिदका, चुटीया, सुरटोली और पनधरवानी रैत ।



**भनडारा जिले का भनडारा तहसील (39 गाँव)**

कोका, सरपेवाडा, इनजेवाडा, दुधारा, नवेगांव, चंद्रापुर, सलेहेती, मनदावी, मनदनगांव, दोदमाज़री, कितादी, गरादा (जंगली), कवलेवाडा, कोदुरली (रिठी), ककदागोनदी (रिठी), दब्बा, गंगालवाडा, चितापुर, धारगांव, सिनगोरी, दिगहोरी, पलादी, उसरगोनदी, अमगांव, तेकेपर (हा), राजदोह (रिठी), तेकेपर (हमेशा), करजखेडा (नया), नेरोदी, सुरेवडा मतोरा, सलेहेती (हमेशा), सीतेपर, वदीपर, येतेवाही (रिठी), सोनकुण्ड (रिठी), कनहालमोह, बेलगांव और अजानी ।

**भनडारा जिले का सकोली तहसील (49 गाँव)**

खमबा, चारगांव, रेनगेपर, जमभादी, मलुटोला, दोंगरगांव, वदेगांव, सतलवाडा, किनही, मोखे, सीतेपर, तुदमापुरी, पथारी, विरसी, उकारा, अलेबेदर, पंगाडी, उमरज़री, अमगांव खुर्द, घनोद, अमगांव (रिठी), पिनदेकेपर, खैरी, बोदरा, वालमज़री, पारसटोला, बोरगांव, इकोदी, उसगांव, सोनेगांव, चंदोरी, पितेज़री, गिदलपर (रिठी), नीपरटोला, आतेगांव, मक्कीताला, गुदरी, मोहघाटा, सराती, नवेगांव (रिठी), नंदगांव, किनही (इकोदी), सोनपुरी, मकरधोकाडा, पारसपानी, बम्पेवाडा, चिचगांव, कितादी (बरादकिनही) और जम्दी (खमबा) ।

**भनडारा जिले का लखानी तहसील (22 गाँव)**

किन्ही (गोदेगांव), चिखालाबोदी, गोनदसवरी, पॉलदवाला, रेनगेपर कोथा, शिनगोरी (रिठी), राजेगांव (मोर), गिरोला जपानी, नीलगोनदी, खुरसीपर, गिरोला रिठी, मसलमेटा, दैतमंगाली, मोरगांव, केशलवाडा पवार, परसोदी, मुनदीपर (सिंदीपर), सिंदीपर, सलेभाटा, समेवाडा, सोनेखरी और कवलेवाडा ।

**भनडारा जिले का मोहादी तहसील (14 गाँव)**

धिवरवाडा, किसनपुर, जमभोरा, कनहारगांव (बोरी), पलोरा, बोनदे, दोनगरदेव, खादकी, केशलवाडा, बोरगांव, लेनदेज़री, किटारी, नवेगांव और येलकाज़री ।

**उपाबंध-IV****पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश : ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2016

**S.O. 612(E).**—Whereas, a draft notification, declaring Eco-sensitive Zone around Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park in Maharashtra, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 590 (E), dated the 20<sup>th</sup> February 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 20<sup>th</sup> February, 2015;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the Central Government considers the Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park hereinafter referred to as the Sanctuaries and Park are located in Gondia and Bhandara Districts in Maharashtra;

And whereas, the sanctuaries and park comprise the core or critical tiger habitat of Navegaon – Nagzira Tiger Reserve as notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 0913/C.R.316/ F-1, dated the 12<sup>th</sup> December, 2013;

And whereas, the sanctuaries and park are known for rich avifauna with about 312 species of birds including migratory and water birds, a number of territorial birds of Indian origin stay here round the year, breeding of Saras Cranes have been recorded from this region, Honey Buzzard, Serpent Eagle, Hawk Eagle, Grey headed Fish Eagle are important raptors in the area;

And whereas, the area has very high faunal and floral diversity with about 72 species of mammals, about 48 species of reptiles and many species of amphibian are found and the flora of this area is represented by Southern tropical Dry Deciduous Forests;

And whereas, the area also supports important wildlife such as Tiger, Leoprad, Sloth Bear, Wild Dog, Bison, Cheetal, Sambhar and Neelgai;

And whereas, the extremely close vicinity of the above-mentioned sanctuaries and national park to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification adjoining the Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of upto 12 kilometers from the boundary of Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park in the State of Maharashtra as the Navegaon – Nagzira Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 2333.39 square kilometres and certain villages in Goregaon, Gondia, Sadak Arjuni, Deoli, Arjuni Morgaon, Bhandara, Sakoli, Lakhani and Mohadi Talukas of Gondia and Bhandara Districts fall in the Eco-sensitive Zone and the boundary description of such Zone is appended as **Annexure I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone alongwith latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(3) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone alongwith co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure III**.

## **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

(1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in adhering to stipulation given in this notification.

(2) The buffer zone of the Navegaon Nagzira Tiger Reserve shall form part of the Eco-sensitive Zone and the Tiger Conservation Plan shall also be taken into consideration during the preparation at the Zonal Master Plan.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(4) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

**3. Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 37 and 40 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Navegaon-Nagzira Tiger Reserve.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Central Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended for time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units. -**

(a) Establishment of new wood based industries shall not be permitted within the Eco-sensitive zone:

Provided that the existing wood based industries may continue unless prohibited under any law for the time being in force;

(b) establishment of any industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(c) no brick preparing industry shall be permitted within one kilometer from the boundary of Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon National Park and Navegaon Wildlife Sanctuary.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New encroachment and their regularization.	Prohibited after the 13 <sup>th</sup> December, 2005.
10.	Lease out of submergence area by Irrigation Department.	Total ban on lease for farming in submergence area of Government Tanks within one kilometer from the boundary of the Eco-sensitive Zone.
11.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
<b>Regulated Activities</b>		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the

		extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the extent of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	The laying of new high tension transmission lines shall not be permitted within 500 meter from the boundary of Nagzira Wild life Sanctuary, New Nagzira Wild life Sanctuary, Koka Wild life Sanctuary, Navegaon National Park and Navegaon Wild life Sanctuary.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural	Recycling of treated effluent shall be encouraged and

	water bodies or land area.	for disposal of sludge or solid wastes, shall be in accordance with the applicable regulations.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27.	Fencing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
29.	Mobile towers.	With protection system on the top shall be permitted.
30.	Furniture Mart.	To be regulated by the Forest Department .
31.	Fishing.	As recommended by committee headed by District Collector or District Level Biodiversity Management Committee.
32.	Old tank deepening.	As recommended by committee headed by District Collector or District Level Biodiversity Management Committee.
33.	Hollow trees.	No hollow tree shall be permitted to be cut.
34.	Minimum storage in water reservoir or tanks.	Minimum storage shall be maintained.
35.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
<b>Promoted activities</b>		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

### 5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee, which shall comprise of, the following, namely:-

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| (a) | District Collector, Gondia  | – Chairman; |
| (b) | Representative of District Collector, Bhandara  | - Member;   |
| (c) | a representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case | – Member;   |
| (d) | Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board,  | - Member;   |
| (e) | Senior Town Planner of the area   | – Member;   |



- |     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| (f) | a representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra   | – Member;          |
| (g) | one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case | - Member;          |
| (h) | Deputy Conservator of Forest, Bhandara   | – Member;          |
| (i) | Field Director, Navegaon Nagazira Tiger Reserve  | – Member;          |
| (j) | Deputy Conservator of Forest, Gondia   | –Member Secretary. |

**Terms of Reference:**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
  - (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year, to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
  - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
  7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/9/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDNI, Scientist 'G'

**Annexure I**

**Description of boundaries of Eco Sensitive Zone of Nagzira, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary And Navegaon National Park .**


Eco Sensitive Zone boundary starts from Mandavi village in the western side of Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon National Park and Navegaon Wildlife Sanctuary across nala and RF boundary bearing latitude 21'13"12 and longitude 79'43"14 and bends the north east direction. Then it bends towards the north direction upto Panjara village across nala.

Then it turns towards the north direction along nala upto Kardi village boundary. Then it turns towards the east upto Sitepar village across nala. Then it turns towards the north east direction along nala upto Bopeshwar village. Then it turns towards the north direction across the state highway upto Lodhitola village boundary. Then it turns towards the south east direction across the state highway upto Mendha village. Then it turns towards the north east direction along road upto Thanegaon village. Then it turns towards the north east direction along road upto Dongargaon village and bends towards the north direction upto Khamari village. Then it turns towards the east along nala and RF boundary upto Rustampur village boundary. Then it turns towards the north east direction along nala upto NImgaon village boundary. Then it turns towards the north west direction along nala upto railway line and again turns to the east direction along railway line upto Nawatola village. Then it turns towards the south east direction along nala upto Pangadi Talav. Then it turns towards the south direction along nala upto Gumdoh Talav. Then it turns towards the east direction across canal upto Halbitola village. Then it turns towards the south direction crossing railway line along nala upto Janutola (Pipartola) village. Then it turns towards the south direction along road upto Mundipar village boundary. Then it turns towards the east along nala and turns towards the south east direction crossing the state highway and goes along nala upto Nimbatola village boundary. Then it turns towards the south west direction and passes through RF Comptt.No 527 upto Kazalwani Village Boundary. Then the boundary passes through RF along the Maramsud Nala and bends towards the east in zigzag manner near hill point 397. Then it bends towards the South up to hill point 382 and again turns towards the West and move towards the South east upto village Zunjaritola. Then the boundary follows Nala in the south direction upto Jamnapur village and passes through village Wazatola. Then it bends towards to the east upto Gotabodi village boundary. Then the boundary crosses the river and State highway Deori to Chichgarh in the south direction and again it crosses National Highway no. 6. From this point it turns towards the east direction along the nala upto village Mahajantola. Then it bends towards the south east direction along the old RF boundary upto Toyagondi village. From this point it touches Bagh River and bends towards the south west direction along the Bagh river upto Futana Tank. Then it bends towards the east direction along the RF boundary and touches State boundary of Chhattisgarh. Then it turns towards the west direction upto Bodaldand village and again bends towards the south direction upto Dhanori village boundary along RF boundary. It turns towards the east direction upto Keshori village along RF boundary. Then it bends towards the south west direction upto Rehali village. Then it bends towards the south direction along nala upto paoni village and turns to the west direction along Gadhavi river. Then it bends towards the south direction upto district boundary and touches to Chor river. Then the boundary bends towards the north west direction along nala and touches Chor river upto Akta village. Then the track passes along the boundary of Itiadoh lake upto the river Gadhavi and it bends towards the south east direction upto Gandhari village. Then it bends towards the south west direction upto Karandali village and touches Gadhavi river along RF boundary. Then it bends towards the north west direction crosses Gadhavi Nadi and goes along Gadhvi river upto Surban village. Then it bends towards the south west direction upto Dinkarnagar village and turns towards the north direction along nala upto Gothangaon village. Then it passes through hill point 537,448,468 & 391 crossing Navegaon Kohalgaon road and touches Navegaon Lake. Then it passes along the boundary of Navegaon Lake and meets the village Bonde. Then it turns towards the west direction along cart track upto Halbitoli village. Then it turns towards the south west direction and crosses Railway line goes along nala upto Bhursitola village. Then it bends towards the north direction along Bhursitola to Bhivkhidki road along RF boundary upto Salai village. Then it passes parallel to railway line towards the north east direction and bends towards the east direction crossing railway line and touches the RF boundary. Then it bends towards the north east direction along nala meeting Chulband River. Then it bends towards the north east direction along Chulband river and meet to the Futala village boundary. Then it turns towards the west direction along National Highway no. 6 upto Chargaon RF boundary. Then it turns towards the south direction along Chargaon RF boundary and touches to Parsodi village boundary. Then it passes along Chargaon RF boundary upto National Highway No. 6. Then it goes along National Highway no. 6 in the west direction along nala upto Pathari village. Then it turns towards the south west direction along nala and meets to Chulband River crossing National Highway no. 6. Then it turns towards the south along Chulband river upto bonde village boundary. Then it turns towards the west direction along road upto Girola village. Then it turns towards the north west direction along nala and touches to National Highway no.6 near Pimpalgaon village. Then it bends towards the north west direction along road upto Bamhni village boundary. Then it turns towards the north west direction along nala upto Khedepar village. Then it turns towards the south west direction along nala upto Kihin village. Then it turns towards the west direction along nala upto Gonglewada RF boundary. Then it bends towards the south direction along RF boundary and meets to National Highway no.6. Then it turns towards the north west direction along National Highway no. 6 and

nala upto Dhargaon village boundary. Then it Passes towards the west direction along N.H.- 6 upto Bhilewada village. Then it Passes towards the West direction along Road upto Karjkheda village. Then it passess north direction along Road boundary upto Surewada Village. Then it passess the north direction along Road boundary upto Khamari & Bellgaon village. Then it passess towards the north north direction along Road boundary upto Mandvi village.

**Annexure II**

**Map of Eco-sensitive Zone**



**Location of various points on the boundary of Eco-Sensitive Zone of Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary And Navegaon National-Park**

Point No.	Latitude	Longitude
1	21° 14' 26.90" N	79° 44' 03.25" E
2	21° 15' 06.64" N	79° 48' 12.58" E
3	21° 16' 22.56" N	79° 48' 30.41" E
4	21° 16' 19.1" N	79° 48' 36.6" E
5	21° 19' 50.6" N	79° 54' 46.8" E
6	21° 21' 24.7" N	79° 59' 44.7" E
7	21° 23' 14" N	80° 01' 40" E
8	21° 26' 15" N	80° 04' 34.5" E
9	21° 24' 22.5" N	80° 06' 23" E
10	21° 22' 01.90" N	80° 06' 07.47" E
11	21° 18' 35.2" N	80° 08' 50.5" E
12	21° 14' 22.5" N	80° 17' 54.5" E
13	21° 13' 28.03" N	80° 19' 11.31" E
14	21° 08' 46.98" N	80° 16' 38.92" E
15	21° 01' 40.95" N	80° 26' 41.63" E
16	20° 55' 15.51" N	80° 26' 48.54" E
17	20° 51' 47.23" N	80° 21' 54.00" E
18	20° 49' 12.68" N	80° 14' 57.07" E
19	20° 46' 39.20" N	80° 09' 1.16" E
20	20° 51' 12.56" N	80° 07' 36.15" E
21	20° 55' 18.36" N	80° 03' 48.89" E
22	20° 59' 7.82" N	80° 04' 32.07" E
23	21° 04' 11.96" N	80° 04' 17.00" E
24	21° 07' 05.39" N	80° 00' 21.57" E
25	21° 04' 14.71" N	79° 58' 24.39" E
26	21° 02' 08.94" N	79° 57' 30.37" E
27	21° 03' 53.15" N	79° 53' 23.26" E
28	21° 05' 56.05" N	79° 53' 17.03" E
29	21° 07' 21.02" N	79° 50' 26.56" E
30	21° 05' 09.49" N	79° 46' 44.89" E
31	21° 06' 12.19" N	79° 43' 48.53" E

32	21° 08' 19.85" N	79° 41' 13.67" E
33	21° 11' 33.82" N	79° 42' 01.71" E

**Location of various points on the boundary of Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary,**

<b>Point</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>
A	21° 13' 57.90" N	79° 43' 32.99" E
B	21° 14' 02.23" N	79° 45' 18.24" E
C	21° 11' 02.38" N	79° 46' 28.94" E
D	21° 13' 12.77" N	79° 48' 14.74" E
E	21° 13' 29.84" N	79° 50' 04.09" E
F	21° 15' 30.81" N	79° 50' 42.65" E
G	21° 16' 42.89" N	79° 52' 57.34" E
H	21° 18' 03.96" N	79° 56' 16.36" E
I	21° 16' 10.63" N	79° 57' 26.40" E
J	21° 19' 10.32" N	79° 58' 27.70" E
K	21° 20' 00.13" N	80° 01' 54.92" E
L	21° 20' 53.44" N	80° 02' 50.28" E
M	21° 20' 41.62" N	80° 04' 27.27" E
N	21° 18' 38.33" N	80° 04' 07.08" E
O	21° 18' 15.15" N	80° 06' 25.29" E
P	21° 17' 19.30" N	80° 10' 43.04" E
Q	21° 11' 49.95" N	80° 04' 01.02" E
R	21° 09' 58.58" N	80° 00' 31.83" E
S	21° 10' 37.36" N	79° 58' 34.50" E
T	21° 12' 37.86" N	79° 56' 00.03" E
U	21° 12' 07.06" N	79° 52' 34.19" E
V	21° 08' 10.99" N	79° 54' 32.97" E
W	21° 08' 29.63" N	79° 48' 05.33" E
X	21° 07' 03.73" N	79° 46' 18.18" E
Y	21° 08' 55.64" N	79° 42' 59.65" E
Z	21° 11' 37.64" N	79° 44' 26.05" E

**Location of various points on the boundary of sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National-Park**

Point	Latitude	Longitude
N1	21° 04' 5.38" N	80° 09' 36.11" E
N2	21° 04' 9.69" N	80° 11' 19.84" E
N3	21° 01' 50.79" N	80° 13' 20.28" E
N4	21° 03' 12.98" N	80° 14' 58.55" E
N5	21° 03' 36.73" N	80° 18' 21.60" E
N6	21° 0' 5.43" N	80° 17' 29.50" E
N7	21° 0' 32.16" N	80° 20' 31.37" E
N8	20° 59' 14.98" N	80° 21' 58.33" E
N9	20° 55' 43.62" N	80° 21' 3.59" E
N10	20° 55' 34.87" N	80° 19' 20.99" E
N11	20° 58' 38.17" N	80° 18' 26.94" E
N12	20° 58' 42.14" N	80° 16' 36.19" E
N13	20° 55' 36.62" N	80° 17' 27.00" E
N14	20° 57' 12.11" N	80° 14' 6.02" E
N15	20° 55' 51.80" N	80° 14' 50.18" E
N16	20° 54' 51.51" N	80° 12' 57.15" E
N17	20° 54' 35.58" N	80° 11' 6.37" E
N18	20° 55' 53.53" N	80° 11' 20.01" E
N19	20° 55' 22.92" N	80° 9' 12.51" E
N20	20° 55' 47.57" N	80° 7' 28.79" E
N21	20° 56' 52.24" N	80° 6' 46.80" E
N22	21° 0' 4.42" N	80° 7' 23.95" E
N23	21° 02' 35.38" N	80° 8' 31.50" E

**Annexure III**

**List of Villages falling within the Eco sensitive Zone**

***Goregaon Tahsil of Gondia District (27 villages)***

Sodlagaondi, Jambhulpani, Garada, Ramatola, Malpuri, Bodunda, Alebedar, Asalpani (Rithi), Nimba, Halbitola (Nimba), Zaliya (Rithi), Pipartona (tanu), Tilli, Palkehda, Murdoli, Telankhedi, Ghumarra, Pindekepar, Palewada, Mundipar, Hirapur, Bagadban, Dhanutola, Lendezari, Girola Rithi and Rengepar Rithi.

***Gondia Tahsil of Gondia District (06 villages)***

Junewani, Gangazari, Kharra, Pangadi, Dhamnewala and Sangrampur (Rithi).

***Tiroda Tahsil of Gondia District (30 villages)***

Kodebarra, Ghoti, Mangezari, Govindtola, Balapur, Kovesar, Berdipar (khu), Khursipar, Bhajepar, Kachekhani (Rithi), Chorkhamara, Kamkazari (Rithi), Maregaon, Sarra, Nandalpar, Lonara, Kulpa, Malkazari (Rithi), Arabkasa (Rithi), Mardagondi, Sitepar, Alezari, Nawejhari, Mardagondi, Sitepar, Alezari, Wadhona (Rithi), Bodalkasa, Pindekepar, Rustampur, Kodelohara, Koylari and Nimgaon.

***Sadak Arjuni Tahsil of Gondia District (98 Villages)***

Lendezari, Dhanori, Bodunda, Thadezari (Rithi), Kosamtondi, Chichtola, Sitepar, Malizunga, Khodshivani, Heti, Pandhari, Murpar (Lendezari), Dunda, Mundipar (Ghate), Ghategaon, Temni Heti, Murpar ram, Gongle, Mramjob (Rithi), Halbitola, Mohghata Rengepar (Pandhari), Khadipar, Ghoti, Palasgaon (Ram), Bhusaritola, Patekurra, Khairi, Girola Heti, Dodke, Bhudhnagar, Kodamedi, Bopabodi, Jambhadi, Chirchadi (kohali), Dongargaon (Khaj), Khajari, Gopaltoli, Dawwa, Wadegaon, Ghatbodi (Teli), Ghatbodi (Kohli), Sindipar, Mundipar (Ghatb), Mhaswani, Dongargaon, Khadki, Rengepar (Pandharwani), Dalli, Pandharwani, (Shenda), Bahmni, Kanharpayli, Shenda, Koylari, Mogarra, Kokna, Khoba, Raka, Baki, Chikhali, Kaneri, Kosamghat, Kosbi, Kolargaon, Palasgaon, Duggipar, Kohalitola, Saledharni, Rajguda, Deopayli, Pandharwani (Renge), Kohalitola, Mendhaki, Maneri, Sahakepar, Ushikheda, Pradhantola, Manditola, Katalwahi (Rithi), Kohalipar, Mahuli, Sawangi, Nainpur, Purkabodi, Siwantola, Birri, Putali (Usarimeta), Khursipar, Bhadutola, Kokna Gosai, Tidka, Sadak Arjuni, Kohmara, Parasodi, Bothali, Kesalwada, Pindekepar and Mangezari.

***Deori Tahsil of Gondia District (81 villages)***

Futana, Borgaon, Sherpar, Chichewada, Shedepar, Salai, Rajamdongari, Belargondi, Khamtalao , Alezari (Rithi), Alebedar, Masulkasa, Malharbodi, Maramjob, Deori, Dhobisarad, Murdoli, Amgaon, Gotabodi, Mundipar, Borgaon, Zunjaritola, Jamnapur, Nakti, Toyagondi, Charbhatta, Dhiwarintola, Mohantola, Kalchuwa, Lendijob, Murpar, Masurbhawada, Kanhalgaon, Jethbhawada, Gadegaon, Bodaldand, Haldi, Dhanori, Mohgaon, Belgaon, Palangaon, Khamkhurra, Keshori, Nilaj, Bonde, Ghonadi, Palasgaon, Sindibirri, Padampur, Maisuli, Singandoh, Sarregaon, Ropa, Dhodhara, Pandharwani, Pindekepar, Alewada, Kawlewada, Parsodi, Murpar (rithi), Dhamditola (Palas), Sukadi, Garartola, Palandur, Balapur, Magardoh, Mohandi, Wasani, Paoni (Rithi), Sundari, Dongargaon, Chichgarh, Wandhara, Dewalgaon, Bhagi, Sirpur, Ambhora, Kosbi, Kotjambhora, Dhamditola and Murmadi Rithi.

***Arjuni Morgaon Tahsil of Gondia District (27 villages)***

Surban, Ramnagar, Gothangaon, Bondgaon, Kadholi, Sanjay Nagar, Gandhari, Channa/kodka, Pandharwani, Parsodi (Rai), Kholi, Kanholi, Kohalgaon, Ranjitola, Jabbarkheda, Yerandi/Dare, Dhabetekari, Paoni, Jambhali, Yelodi, Rampur, Zashinagar (Tambora), Chingi, Tidka, Chutiya, Surtoli and Pandharwani Rait.

***Bhandara Tahsil of Bhandara District (39 villages)***

Koka, Sarpewada, Injewada, Dudhara, Nawegaon, Chandrapur, Saleheti, Mandavi, Mandangaon, Dodmazari, Kitadi, Garada (Jangali), Kawlewada, Kodurli (Rithi), Kakdagondi (Rithi), Dawwa, Gangalwada, Chitapur, Dhargaon, Singori, Dighori, Paladi, Usaragondi, Amgaon, Tekepar(Ha), Rajdoh (Rithi), Tekepar (Hamesha), Karajkheda (Naya), Nerodi, Surewada Matora, Saleheti (Hamesha), Sitepar, Wadipar, Yetewahi (Rithi), Sonkund (Rithi), Kanhalmoh, Belgaon and Ajani.

***Sakoli Tahsil of Bhandara District (49 Villages)***

Khamba, Chargaon, Rengepar, Jambhadi, Malutola, Dongargaon, Wadegaon, Satalwada, Kinhi, Mokhe, Sitepar, Tudmapuri, Pathari, Virsi, Ukara, Alebedar, Pangadi, Umarzari, Amgaon Khurd, Ghanod, Amgaon (Rithi), Pindekepar, Khairi, Bodra, Walmazari, Parastola, Borgaon, Ekodi, Usagoan, Sonegaon, Chandori, Pitezari, Gidalpar (Rithi), Nipartola, Aategaon, Makkitala, Gudri, Mohghata, Sarati, Nawegaon (Rithi), Nandgaon, Kinhi (Ekodi), Sonpuri, Makardhokada, Paraspani, Bampewada, Chichgaon, Kitadi (Baradkinhi) and Jamdi (Khmaba).

***Lakhani Tahsil of Bhandara District (22 Villages)***

Kinhi (Gadegaon), Chikhalabodi, Gondsawari, Pauldawana, Rengepar Kotha, Shingori (Rithi), Rajegaon (Mor), Girola Japani, Nilagondi, Khursipar, Girola Rithi, Masalmeta, Daitmangali, Morgaon, Keshalwada Pawar, Parsodi, Mundipar(Sindipar), Sindipar, Salebhata, Samewada, Sonekhari and Kawlewada.

***Mohadi Tahsil of Bhandara District*** (14 Villages)

Dhiwarwada, Kisanpur, Jambhora, Kanhargaon (Bori), Palora, Bonde, Dongardev, Khadki, Keshalwada, Borgaon, Lendezari, Kitari, Nawegaon and Yelkazari.

**Annexure IV****Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: